न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 410/2022 (पुराना 75/2021)

वाद दायरी दिनांक :– 13.08.2021

1. मोहम्मद हुसैन उम्र 60 वर्ष
2. मो. अनवर उम्र 57 वर्ष
3. भो सरीफ उम्र 55 वर्ष
4. असलम खां उम्र 44 वर्ष

पुत्रगण मे सदीक, समस्त जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी ग्राम टाई, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.) 9982018674

वादीगण

बनाम

1. आसिफ खान पुत्र जीवण खां
2. गालिब खान पुत्र जीवण खा
3. परवीन पुत्री जीवण खां
4. महमुद खां पुत्र जीवण खां
5. मोहम्मद अली खां पुत्र जीवण खां
6. रहमान खां पुत्र जीवण खा
7. सलीम खान पुत्र जीवण खां
8. निजामुदीन खां पुत्र दीने खा उर्फ बिसार खां

समस्त जाति कायमखानी मुसलमान, निवासीगण ग्राम टाई, सहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

वकील वादी – श्री जाफर अली एडवाकेट

दावा बाबत धोषणार्थ,

निर्णय

निर्णय दिनांक 03.07.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि जमीन हाल खसरा नं 1100 रकबा 454 हेक्टर स्थित ग्राम टाई तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू में स्थित है। उक्त भूमि के गत खसरा नं 415 रकबा 55 बीघा 5 विश्वा थे। कि वादीगण के पिता सदीक पुत्र हाजी अहमद, जाति व्यापारी निवासी टाई ने भूमि पुराना खसरा नं 415 रकबा 55 बीघा 5 बिश्वा पुख्ता मौजा जमीन में 18 बीघा पुख्ता जमीन को उसके रिकॉर्डेड खातेदार निजामुदीन खां पुत्र दीने खा व जीवण

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

खा पुत्र गनी, जाति व्यापारी, निवासी टाई से दिनाक 20.05.1969 को क्रय की थी तथा भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था। जमीन क्रय करने के पश्चात वादीगण के पिता के नाम तत्कालीन तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा इन्तकाल सं. 358 भरा गया व नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया। नामान्तकरण दर्ज होने के पश्चात वादीगण के पिता के नाम पाराबुक जारी कर दी गई परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही किया। वादीगण के पिता ने नामान्तकरण दर्ज करवाने के पश्चात कभी राजस्व रिकॉर्ड की ओर ध्यान नही दिया।4 यह कि वादीगण के पिता द्वारा धारा 1 में वर्णित जमीन क्रय करने के पश्चात वादीगण का पिता अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा था। उक्त जमीन में वादीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त वादीगण का भौतिक कब्जा व काश्त रहा है। वादीगण के पिता की करीबन 13 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। वादीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त वादीगण भी मजदूरी पेशा होने के कारण वादीगण ने कभी राजस्व रिकॉर्ड की ओर ध्यान नही दिया। उक्त भूमि वादीगण के पिता की क्रयशुदा भूमि रही है। जिस पर वादीगण का पिता अपने जीवनकाल में कब्जा काश्त रहा है व वादीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियां की भूल के कारण वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी सं 1 लगायत 8 के नाम दर्ज चला आ रहा है परन्तु प्रतिवादी सं 1 लगायत 8 का वादीगण के पिता द्वारा क्रयशुदा भूमि पर क्रय के पश्चात कभी कब्जा काश्त नही रहा। वादीगण के पिता व वादीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 ने कभी कोई ऐतराज नही किया है, ना ही कोई ऐतराज कब्जे काश्त वावत प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 को वादीगण के पिता व वादीगण के कब्जे काश्त बाबत रहा है। दिंनाक 15.03.2022 को वादीगण ने तहसीलदार मण्डावा से उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय मण्डावा ने विनासक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। इस कारण वादीगण को दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। तहसीलदार मण्डावा द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने से इन्कार करने के रोज वादकारण पैदा हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम टाई के निवासी है तथा उक्त जमीन भी ग्राम टाई में स्थित है। इस कारण माननीय न्यायालय को दावा का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

. सिद्धिया –(क) यह कि वाद वादी डिक्री इस प्रकार किया जावें कि वाद पत्र की मद सं. 1 में दर्ज भूमि में वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त श किये जाने का आदेश फरमाया जावें व नई खतौनी जारी की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी न0 01 लगायत 08 वाद तामिल के अनुपसिथत रहे है। प्रतिवादी 06 आज दिनांक को उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमती हस्ताक्षर करें।

वादी न0 01 द्वारा साक्ष्य के रूप में अपना स्वयं का शपथ पेश किया । प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर दस्तावेत प्रर्दश –1 खसरा मिलान क्षेत्रफल, प्रर्दश –2 नामान्तरकरण संख्या 358 प्रर्दश–3 जमावन्दी सम्वत 2074–2077 डाले गये।

विधि में भूमि के घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में वादी पिता के द्वारा प्रतिवादी न0 01 लगायत 08 के पूर्वजों से जरिये विक्रय पत्र दिनांकित 20.05.1969 से क्रय किया जाना साबित है जो उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 358 (प्रर्दश 3) स्वीकृत हुआ है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम टाई के जमीन हाल ख.न. 1100 रकबा 4.54 हैक्टर में दर्ज खातेदारान का नाम हजफ किया जाकर वादी संख्या 01 लगायत 04 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
सपोटरा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 410/2022 मो. हुसैन बनाम आसिफ वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा वहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

न्यायालय निर्णय दिनांक 03.07.2025 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम टांई के जमीन हाल ख.न. 1100 रकबा 4.54 हैक्टर में दर्ज खातेदारान का नाम हजफ किया जाकर वादी संख्या 01 लगायत 04 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03.07.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा